भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2465

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

नदी प्रदूषण और गंगा पुनरुद्धार

2465. श्री इमरान प्रतापगढ़ीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट से प्रभावित प्रमुख नदियों सहित जल प्रदूषण की नदी-वार स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) नमामि गंगे कार्यक्रम सहित नदी संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत संस्वीकृत, पूर्ण तथा कार्यशील सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों (एसटीपी) की संख्या और उनकी क्षमता कितनी है;

(ग) प्रमुख नदी बेसिनों में उत्पन्न सीवेज और उपचारित सीवेज के बीच कितना अंतर है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान नदी सफाई तथा गंगा कायाकल्प कार्यक्रमों के तहत कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए चिह्नित, अभियोजित और दंडित की गई प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से, देश में निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से नदियों और अन्य जल स्रोतों के जल गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी करता है। नदी जल गुणवत्ता की निगरानी के आधार पर, सीपीसीबी भारत के प्रदूषित नदी खण्डों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट सीपीसीबी की वेबसाइट https://cpcb.nic.in पर उपलब्ध है।

नदी खण्डों को निगरानी परिणामों के आधार पर जैवरासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) स्तरों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जो कि जैविक प्रदूषण का संकेतक है।

सीपीसीबी की अक्टूबर, 2025 की प्रदूषित नदी खण्डों (पीआरएस) की रिपोर्ट के अनुसार, 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 271 नदियों पर 296 प्रदूषित नदी खण्ड/स्थानों को चिन्हित किया गया है।

प्राथमिकता	बीओडी स्तर	प्रदूषित नदी खंडों की संख्या
प्राथमिकता I (अत्यधिक प्रदूषित)	बीओडी 30 मीलीग्राम/लीटर से अधिक	37
प्राथमिकता II	20 - 30 मीलीग्राम/लीटर के बीच	22
प्राथमिकता III	10 - 20 मीलीग्राम/लीटर के बीच	43
प्राथमिकता IV	6 - 10 मीलीग्राम/लीटर के बीच	45
प्राथमिकता V (सबसे कम प्रदूषित)	3 - 6 मीलीग्राम/लीटर के बीच	149
	कुल	**296**

(ख): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने प्रदूषित नदी की सफाई के लिए कुल 219 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को अनुमोदित किया है, जिनमें 296 एसटीपी हैं, जिनकी संपूर्ण उपचार क्षमता 6,610 एमएलडी है। 146 परियोजनाएं, जिनमें 4,263 एमएलडी की उपचार क्षमता के साथ 185 एसटीपी हैं, पूर्ण हो चुकी हैं और वे कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, एनआरसीपी के तहत (गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) 17 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में फैली 58 नदियों के प्रदूषित हिस्सों को कवर करता है, जिसकी अनुमोदित लागत 8,975 करोड़ रूपए है। विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र की ओर से 4,403 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं और, अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें 3,026 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की उपचार क्षमता सृजित की गई है।

(ग): मार्च, 2021 की सीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार, देश के शहरी क्षेत्रों से 72,368 एमएलडी सीवेज उत्पन्न होता है, जिसके लिए 31,841 एमएलडी की उपचार क्षमता उपलब्ध है, इसके साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीवेज उत्पादन (एमएलडी में)	स्थापित क्षमता (एमएलडी में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23	0
आंध्र प्रदेश	2,882	833
अरुणाचल प्रदेश	62	0
असम	809	0
बिहार	2,276	10
चंडीगढ़	188	293
छत्तीसगढ़	1,203	73
दादरा और नगर हवेली	67	24

गोवा	176	66
गुजरात	5,013	3,378
हरियाणा	1,816	1,880
हिमाचल प्रदेश	116	136
जम्मू और कश्मीर	665	218
झारखंड	1,510	22
कर्नाटक	4,458	2,712
केरल	4,256	120
लक्षद्वीप	13	0
मध्य प्रदेश	3,646	1,839
महाराष्ट्र	9,107	6,890
मणिपुर	168	0
मेघालय	112	0
मिज़ोरम	103	10
नागालैंड	135	0
दिल्ली एनसीटी	3,330	2,896
ओड़िशा	1,282	378
पुडुचेरी	161	56
पंजाब	1,889	1,781
राजस्थान	3,185	1,086
सिक्किम	52	20
तमिलनाडु	6,421	1,492
तेलंगाना	2,660	901
त्रिपुरा	237	8
उत्तर प्रदेश	8,263	3,374
उत्तराखंड	627	448
पश्चिम बंगाल	5,457	897
कुल	**72,368**	**31,841**

नोट:

i) सीवेज उत्पादन का अनुमान, जल की आपूर्ति @ 185 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन और सीवेज उत्पादन की दर 80% के आधार पर लगाया गया है।

ii) दिल्ली एनसीटी के लिए सीवेज उत्पादन का अनुमान उनके जल की आपूर्ति के 80% के आधार पर लगाया गया है, जो 925 एमजीडी है।

(घ): राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पिछले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक) के दौरान गंगा और इसकी सहायक नदियों के पुनःउद्धार

के लिए 11,331.79 करोड़ रुपए (अप्रयुक्त अनुदानों की वापसी के बाद शुद्ध) संवितरित किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (गंगा और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में 1,888 करोड़ रूपए का कुल व्यय हुआ है।

(ङ): सीपीसीबी, वर्ष 2017 से तृतीय-पार्टी तकनीकी संस्थानों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के अधिकारियों की संयुक्त दलों के द्वारा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में जल निर्वहन की क्षमता वाले गंगा की मुख्य धारा पर बसे राज्यों में संचालित हो रही अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करने वाली औद्योगिक इकाइयों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण करता है जिसमे समान अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (सीईटीपीs) शामिल हैं। वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक जीपीआई के निरीक्षण की स्थिति निम्नानुसार है:

i. वर्ष 2022 के दौरान, कुल 2,706 जीपीआई का निरीक्षण किया गया जिनमें से 2,198 जीपीआई कार्यशील थीं। कार्यशील जीपीआई में से, 1,657 जीपीआई को अनुपालनाधीन पाया गया और 541 जीपीआई को गैर-अनुपालन में पाया गया। इसके अतिरिक्त, 508 जीपीआई स्वत: बंद हो गई।

ii. वर्ष 2023 के दौरान, कुल 3,186 जीपीआई का निरीक्षण किया गया, जिनमें 2,501 जीपीआई को कार्यशील पाया गया। इनमें से, 2,002 जीपीआई को अनुपालनाधीन पाया गया, जबकि 499 जीपीआई को गैर-अनुपालन में पाया गया। साथ ही, 685 जीपीआई स्वत: बंद हो गई।

iii. वर्ष 2024 के दौरान, 4,215 जीपीआई का निरीक्षण किया गया। इनमें से 3,363 जीपीआई को कार्यशील पाया गया। कार्यशील इकाइयों में, 2,770 जीपीआई अनुपालनाधीन थीं, जबकि 593 जीपीआई को गैर-अनुपालन में पाया गया। इसके अतिरिक्त, 852 जीपीआई स्वत: बंद हो गई।

iv. वर्ष 2025 के दौरान, कुल 3,703 जीपीआई का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 3,154 जीपीआई को कार्यशील पाया गया। कार्यशील जीपीआई में, 2,213 अनुपालनाधीन थीं और 941 को गैर-अनुपालन में पाया गया। इसके अतिरिक्त, 549 जीपीआई स्वत: बंद हो गई।
